

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

प्रमाणिक रीडर/2025/6093

पीठारीन अधिकारी-श्री वीरगा राम, आर.ए.एस

दिनांक - 17.07.25

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 भैराराम पुत्र पोकराराम
जाति माली निवासी
अलाणियों की ढाणी,
बांदरा तहसील बाड़मेर
ग्रामीण जिला बाड़मेर।


1 संतोकाराम पुत्र हराराम 2 सांगाराम
पुत्र डुंगराराम 3 जगदीश पुत्र आसूराम
4 नखताराम पुत्र टीलाराम 5 वीराराम पुत्र
भंवराराम जाति माली निवासी अलाणियों
की ढाणी, बांदरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण
जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 185/2025

दिनांक- 04/07/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मानाणी कुमावतों की ढाणी पटवार क्षेत्र बांदरा तहसील
बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1013/693 रकबा 1.9425 हैक्टयर, खसरा
संख्या 1011/693, रकबा 1.9955 हैक्टयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते
हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त
नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित
करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही
करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर
पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक
हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया
जावेगा।


(वीरगा राम)


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 17-07-25

क्रमांक :- रीडर/2025/6094-97

तिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बांदरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी भैराराम पुत्र पोकराराम जाति माली निवासी अलाणियों की ढाणी, बांदरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण संतोकाराम पुत्र जाति माली निवासी अलाणियों की ढाणी, बांदरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर